रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2018/भाद्र 8, 1940
No. 606] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2018/BHADRA 8, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 822(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उप-नियम (2) में "चौदह हजार पांच सौ बत्तीस रूपए प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रुपए प्रतिवर्ष" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2016 से इसको प्रतिस्थापित हुआ माना जाएगा।

[सं. ए-11013/15/2008-एटी]

श्रीनिवास कथिकीथाला, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की, जिन्हें 19 फरवरी, 2007 से पहले नियुक्त किया गया था, की पेंशन का 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का 1 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी:-मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

1. सा.का.नि. 583 (अ), तारीख 18 जून, 1987;
2. सा.का.नि. 9 (अ), तारीख 6 जनवरी, 1988;
3. सा.का.नि. 79 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1988;
4. सा.का.नि. 324 (अ), तारीख 3 मार्च, 1988;
5. सा.का.नि. 120 (अ), तारीख 22 फरवरी, 1989;
6. सा.का.नि. 417 (अ), तारीख 31 मार्च, 1989;
7. सा.का.नि. 72 (अ), तारीख 30 जनवरी, 1992;
8. सा.का.नि. 41 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1993;
9. सा.का.नि. 39 (अ), तारीख 20 जनवरी, 1995;
10. सा.का.नि. 61 (अ), तारीख 29 जनवरी, 1998;
11. सा.का.नि. 244 (अ), तारीख 14 मार्च, 2000;
12. सा.का.नि. 536 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2007; और
13. सा.का.नि. 545 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2009।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2018

G.S.R 822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) These rules shall be applicable to the Chairman, Vice-Chairmen and Members of the Central Administrative Tribunal appointed before the 19th February, 2007.

2. In rule 8 of the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, in sub-rule (2), for the words "rupees fourteen thousand five hundred and thirty two per annum", the words "rupees forty thousand eight hundred and thirty six per annum" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2016.

[No. A-11013/15/2008-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum:-

With a view to implement the recommendations of the Seventh Pay Commission regarding the Central Government employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairmen and Members with effect from the 1st day of January, 2016 who were appointed before the 19th day of February, 2007. Accordingly, the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended with retrospective effect from the 1st day of January, 2016.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairmen and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note : Principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 644 (E) dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification numbers -

(1) G.S.R. 583 (E), dated the 18th June, 1987;

(2) G.S.R. 9 (E), dated the 6th January, 1988;

(3) G.S.R. 79 (E), dated the 4th February, 1988;

(4) G.S.R. 324 (E), dated the 3rd March, 1988;

(5) G.S.R. 120 (E), dated the 22nd February, 1989;

(6) G.S.R. 417 (E), dated the 31st March, 1989;

(7) G.S.R. 72 (E), dated the 30th January, 1992;

(8) G.S.R. 41 (E), dated the 1st February, 1993;

(9) G.S.R. 39 (E), dated the 20th January, 1995;

(10) G.S.R. 61 (E), dated the 29th January, 1998;

(11) G.S.R. 244 (E), dated the 14th March, 2000;

(12) G.S.R. 536 (E), dated the 3rd August, 2007; and

(13) G.S.R. 545 (E), dated the 22nd July, 2009.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.08.30 16:42:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.